

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), पंजाब, चंडीगढ़
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) PUNJAB & UT, CHANDIGARH

कार्यालय आदेश सं.- प्रशा-1/ए/2023-2024/309
Office Order No. Admn.I/A/2023-24/309

दिनांक : 01.11.2023
Date: - 01.11.2023

कार्यालय आदेश
OFFICE ORDER

सक्षम अधिकारी ने निम्न कार्मिक वरिष्ठ लेखाकार को सहायक पर्यवेक्षक के पद पर 7 वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 7 में दिनांक 01.11.2023 से या उनके सहायक पर्यवेक्षक के पद पर कार्यभार सँभालने की तिथि से पदोन्नत किया है।

The competent authority is pleased to promote the following Sr. Accountant to officiate as Assistant Supervisor in the level 7 of the pay matrix as per 7th Central Pay Commission w.e.f 01.11.2023 or from the date she actually takes over charge of the post of Assistant Supervisor, whichever is later.

Sr. No. क्र.संख्या	Name & Designation S/Sh./Smt नाम व पदनाम श्रीमती	PUCDE Code पीयूसीडीई कोड	Date of Birth जन्म तिथि
1.	उपासना शर्मा, वरिष्ठ लेखाकार Upasna Sharma, Sr. Acctt	PUCDE2180746	28.01.1984

2. इस पदोन्नति का आदेश किसी भी अन्य वरिष्ठ कार्मिक जो इससे पहले पदोन्नति का हकदार हो के अधिकार के बिना पक्षपात के दिया गया है। यदि कार्मिक उक्त आदेश के जारी होने के 15 दिनों के भीतर व्यक्तिगत तौर पर पदोन्नत का लाभ नहीं लेता तो उसकी वरिष्ठता प्रभावित होगी जिसकी गणना उसके सहायक पर्यवेक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी।

2. This promotion has been ordered without prejudice to the right of any senior official who may be entitled to promotion before her. If the official does not avail of the said promotion within 15 days from the date of issue of these orders on account of any personal consideration, she will lose her seniority which will in that case be reckoned from the date she takes over charge of the post of Assistant Supervisor.

3. सहायक पर्यवेक्षक ग्रेड में पदोन्नत कार्मिक को यह आदेश जारी होने की तिथि से 01 माह के भीतर भारत सरकार के ए.आर.22 (1) ए (1) व भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 28.11.2019 के पत्र संख्या- 4-21/2017/IC/E.IIIA के अंतर्गत वेतन निर्धारण के संबंध में दिए गए विकल्पों (जहाँ भी लागू हो) का चयन करना आवश्यक है।

3. The official promoted to the grade of Assistant Supervisor is required to exercise their option (wherever applicable) regarding fixation of pay within one month from the date of issue of this order in terms of Govt. of India's decision below FR 22 (I) (a) (1) and Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure letter No. 4-21/2017-IC/E.IIIA dated 28.11.2019.

4. यह पदोन्नती आगामी आदेशों जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एस.एल.पी. (सी) संख्या 30621/2011 में पारित अंतिम आदेश के परिणामस्वरूप तथा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.07.2011 को सी.डब्ल्यू.पी. संख्या- 13218/2009 में पारित आदेश व अपील संख्या (सी) 31288/2017 के अंतर्गत स्पेशल लीव और डी.ओ.टी.पी. के दिनांक 15.06.2018 पत्र संख्या -36012/11/2016-एसटीटी.(आरईएस-1) (पीटी-ii)